# श्री नागपुर प्रान्तीय दिगम्बर जैन खण्डेलवाल सभा

**पंजीकृत क्रमांक:** 173/53/54
**स्थापना वर्ष:** 1916

**पंजीकृत कार्यालय: छिंदवाड़ा (म.प्र.) ,   कार्यालय : इतवारी, भाजीमंडी, फूलओली ,नागपुर**

---

# स्थायी पद निर्वाचन नियमावली

*(Permanent Election Rules & Regulations )*

**स्वीकृत द्वारा**

**यह नियमावली दिनांक 20 फरवरी 2026 को रात्रि 8:00 बजे आयोजित सामान्य सभा (Zoom Online) में विधिवत पारित की गई तथा भविष्य में होने वाले सभी निर्वाचन पर लागू रहने वाली स्थायी एवं बाध्यकारी नियमावली मानी जाएगी।**

# सभापति का वक्तव्य

श्री नागपुर प्रान्तीय दिगम्बर जैन खण्डेलवाल सभा एक प्रतिष्ठित, संगठित एवं सक्रिय सामाजिक-सांस्कृतिक संस्था है, जो समाज में एकता, सहयोग, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व तथा लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से निरंतर कार्यरत है। सभा का मुख्य ध्येय समाज के सर्वांगीण विकास, सांस्कृतिक संरक्षण तथा सुव्यवस्थित प्रशासनिक व्यवस्था के माध्यम से समाज के हितों की रक्षा करना है।

सभा के पदाधिकारियों का निर्वाचन संस्था की प्रशासनिक संरचना का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। इसी प्रक्रिया के माध्यम से योग्य, सक्षम, ईमानदार एवं उत्तरदायी नेतृत्व का चयन किया जाता है, जो संस्था के उद्देश्यों को प्रभावी रूप से आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

निर्वाचन प्रक्रिया को पूर्णतः पारदर्शी, निष्पक्ष, लोकतांत्रिक एवं सुव्यवस्थित बनाए रखने के उद्देश्य से "**स्थायी पद निर्वाचन नियमावली**" तैयार की गई है।

सभा के सभी सदस्य, प्रत्याशी, पदाधिकारी तथा निर्वाचन प्रक्रिया से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े सभी व्यक्तियों के लिए इस नियमावली का पालन अनिवार्य एवं बाध्यकारी होगा।

यह नियमावली संस्था के सुशासन, पारदर्शिता एवं संगठनात्मक अनुशासन को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में सभा द्वारा स्वीकृत की जाती है।

# विस्तृत प्रावधान

## धारा 1 — संक्षिप्त नाम एवं उद्देश्य

यह नियमावली “पद निर्वाचन नियमावली – 2026” कहलाएगी।

---

## धारा 2 — निर्वाचन तिथि एवं स्थान

निर्वाचन की तिथि एवं स्थान आम सभा द्वारा समय-समय पर परिस्थितियों के अनुसार निर्धारित किए जाएँगे।

---

## धारा 3 — निर्वाचन समिति

निर्वाचन प्रक्रिया के सुचारु संचालन हेतु तीन सदस्यीय समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी तथा दो सहायक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किए जाएँगे।

निर्वाचन समिति के समन्वय एवं प्रभावी संचार हेतु एक आधिकारिक WhatsApp समूह बनाया जाएगा।
इस समूह में सभी निर्वाचन अधिकारी तथा नामांकन भरने वाले प्रत्याशियों को जोड़ा जाएगा।
निर्वाचन से संबंधित सभी आधिकारिक सूचनाएँ इसी माध्यम से साझा की जाएँगी।

सभी प्रत्याशी अपना पूर्ण रूप से भरा हुआ नामांकन पत्र निर्वाचन समिति के आधिकारिक WhatsApp समूह / निर्धारित डिजिटल माध्यम में जमा करेंगे।
निर्धारित समय के पश्चात प्राप्त नामांकन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

---

## धारा 4 — निर्वाचन पद

• सभापति / अध्यक्ष — 01

( निर्वाचित सभापति / अध्यक्ष को अपनी कार्यकारिणी समिति का गठन करने का अधिकार होगा। अध्यक्ष अपनी कार्यकारिणी समिति के सदस्यों का चयन एवं गठन संस्था के नियमों के अनुरूप स्वयं कर सकेंगे। )

## धारा 5 — मतदाता पात्रता

✔ सदस्य सूची में नाम दर्ज होना आवश्यक होगा।
✔ सदस्यता शुल्क चुनाव तिथि के एक दिन पूर्व तक पूर्ण रूप से जमा होना चाहिए।
✔ चुनाव के दिन किसी भी प्रकार का सदस्यता शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा।
✔ सदस्य के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित नहीं होनी चाहिए।
✔ मतदान के समय सदस्य पहचान पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

---

## धारा 6 — प्रत्याशी पात्रता

✔ प्रत्याशी सभा का वैध सदस्य होना चाहिए।
✔ सदस्यता शुल्क निर्वाचन वर्ष तक देय समस्त शुल्कों सहित पूर्ण रूप से जमा होना आवश्यक होगा।
✔ प्रत्याशी द्वारा नियमावली का पालन करने हेतु सहमति देना आवश्यक होगा।

प्रत्याशी द्वारा निर्वाचन समिति के किसी सदस्य से संपर्क करने के पश्चात उन्हें निर्वाचन के आधिकारिक WhatsApp समूह में जोड़ा जाएगा।
प्रत्याशी अपना पूर्ण रूप से भरा हुआ नामांकन प्रपत्र केवल उसी आधिकारिक WhatsApp समूह में जमा करेंगे।

विशेष पात्रता शर्त
✔ प्रत्याशी तथा उसकी पत्नी (यदि विवाहित) दोनों का पूर्णतः दिगम्बर जैन खण्डेलवाल समाज से होना अनिवार्य होगा।

उपरोक्त शर्तों में अपूर्णता पाए जाने पर नामांकन निरस्त माना जाएगा

---

## धारा 7 — प्रस्तावक एवं समर्थक नियम

✔ प्रत्येक प्रत्याशी के लिए एक प्रस्तावक एवं दो समर्थक अनिवार्य होंगे।
✔ प्रस्तावक एवं समर्थकों का नाम सदस्य सूची में दर्ज होना चाहिए।
✔ सदस्यता शुल्क पूर्ण होना अनिवार्य होगा।

## धारा 8 — नामांकन शुल्क

प्रत्येक प्रत्याशी हेतु नामांकन शुल्क **₹ 5100/-** निर्धारित किया जाता है, जो पूर्णतः अप्रतिदेय होगा।

### धारा 8(क) — शुल्क अप्रतिदेय होने का आधार

1. किसी भी परिस्थिति में शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।
2. यह राशि निर्वाचन व्यय, प्रबंधन एवं समाज हित में उपयोग होगी।
3. शुल्क सभा के कोष में जमा रहेगा।

## धारा 9 — नामांकन प्रक्रिया

नामांकन पत्र प्राप्ति एवं जमा समय निर्वाचन समिति द्वारा घोषित किया जाएगा।

---

## धारा 10 — नामांकन पत्रों की जाँच

नामांकन जाँच निर्वाचन समिति द्वारा निर्धारित समय में की जाएगी।

---

## धारा 11 — नामांकन वापसी

निर्धारित अवधि में नामांकन वापसी की अनुमति होगी।

---

## धारा 12 — अंतिम प्रत्याशी सूची

अंतिम सूची नोटिस बोर्ड / WhatsApp / Website पर प्रकाशित की जाएगी।

---

## धारा 13 — मतदान प्रक्रिया

✔ गुप्त मतपत्र
✔ पहचान पत्र अनिवार्य
✔ सत्यापन पश्चात मतदान

---

## धारा 14 — मतगणना एवं परिणाम

मतगणना निर्वाचन समिति द्वारा कर परिणाम घोषित किया जाएगा।

---

## धारा 15 — पदभार हस्तांतरण

परिणाम घोषणा से 30 दिनों के भीतर सभी अभिलेख हस्तांतरित किए जाएँगे।

---

## धारा 16 — बैंक हस्ताक्षर परिवर्तन

निर्वाचन परिणाम घोषित होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर बैंक खातों में नवीन पदाधिकारियों के अधिकृत हस्ताक्षर अद्यतन (update) किए जाएँगे।

---

## धारा 17 — आचार संहिता

✔ अनुशासन बनाए रखना
✔ अनुचित प्रभाव से बचना

---

## धारा 18 — विवाद निवारण

निर्वाचन समिति का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

---

## धारा 19 — संशोधन अधिकार

निर्वाचन नियमावली में संशोधन आम सभा द्वारा उपस्थित सदस्यों के दो-तिहाई (2/3) बहुमत से किया जा सकेगा।

---

## अनुमोदन

**यह नियमावली दिनांक 20 फरवरी 2026 को रात्रि 8:00 बजे आयोजित सामान्य सभा (Zoom Online) में विधिवत पारित की गई तथा भविष्य में होने वाले सभी निर्वाचन पर लागू रहने वाली स्थायी एवं बाध्यकारी नियमावली मानी जाएगी।**